**न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर**
**पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस**

**राजस्व अपील संख्या 50/2023**

| **अपीलान्ट** | बनाम | **रेस्पोडेन्टस** |
|---|---|---|
| दीनदयाल पुत्र शिवदान जाति चारण, निवासी– बारठ का गांव, तहसील भणियाण जिला जैसलमेर। | | राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भणियाणा, जिला जैसलमेर। |

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 18.05.2023 जो अपर जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 13/2020 अनवान दीनदयाल बनाम राज0 राज्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री अजित दैया, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

## निर्णय

दिनांक 30 दिसम्बर, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन अधिकारी व सलाहकार समिति की सिफारिश पर अपीलार्थी को भूमिहीन होने की श्रेणी में रखकर ग्राम झलारिया के ख0सं0 248/439 रकबा 75 बीघा कृषि भूमि का आवंटन अपीलान्ट को आदेश दिनांक 15.05.1974 के द्वारा किया गया था। नायब तहसीलदार, भणियाणा के द्वारा उक्त भूमि आवंटन आदेश दिनांक 15.05.1974 को निरस्त करवाने हेतु राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम की धारा 14(4) के तहत एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर, जैसलमेर न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा बाद सुनवाई आदेश दिनांक 01.08.1979 के द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलान्ट के पक्ष में हुए भूमि आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया गया, जिला कलेक्टर, जैसलमेर के उक्त आदेश विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय द्वारा अपील को दर्ज रजिस्टर कर अपील के साथ पेश स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 31.10.1981 को स्थगन आदेश पारित करते हुए अपील के अन्तिम निस्तारण तक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.8.1979 की पालना व प्रभाव को स्थगित कर दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा उक्त स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नायब तहसीलदार, भणियाणा को तत्काल प्रस्तुत कर दी गई थी तथा नायब तहसीलदार, भणियाणा को भी इसकी जानकारी उस समय ही हो गई थी परन्तु नायब तहसीलदार, भणियाणा ने उक्त स्थगन आदेश को दरकिनार करते हुए अपीलान्ट के पक्ष में हुए आवंटन आदेश को जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा निरस्त कर दिये जाने के आदेश के अनुसरण में नामा0 संख्या 313 दिनांक 31.05.86 स्वीकृत करते हुए अपीलार्थी को आवंटित भूमि को रकबा राज घोषित कर दिया गया।

अपीलान्ट ने उपरोक्त स्वीकृत नामा0 संख्या 313 के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, जैसलमेर के समक्ष पेश गई। अपर जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा तथ्यों पर बिना कोई ठोस कारण दर्शित करते हुए तथा राजस्व रिकार्ड व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित स्थगन आदेश व नायब तहसीलदार भणियाणा द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 313 दिनांक 31.03.1986 से उत्पन्न विरोधाभास पर गौर फरमाये बिना ही प्रथम अपील को दिनांक 18.05.2023 को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.06.2023 को पेश की है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण बहस हेतु उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित स्थगन आदेश की जानकारी नायब तहसीलदार भणियाणा को होने के बावजूद उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए नामा0 संख्या 313 दिनांक 31.05.1986 को स्वीकृत कर दिया गया, जो कि निरस्त करने योग्य था। इसके अतिरिक्त राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्राधिकारी न्यायालय के द्वारा अपने अन्तिम निर्णय दिनांक 29.01.1991 में जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में कृषि भूमि आवंटन बाबत जारी आदेश दिनांक 15.05.1974 को निरस्त करने के आदेश दिनांक 01.08.1979 को निरस्त किया जा चुका था। उसे भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा नजरअंदाज करते हुए नायब तहसीलदार द्वारा नामा0 स्वीकृत करने बाबत पारित आदेश को यथावत रख दिया जो कि सरासर विधि विरूद्ध है तथा निरस्त करने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय निश्कर्ष में अपील को खारिज करने व नायब तहसीलदार के नामा0 संख्या 313 दिनांक 31.05.1986 पर पारित आदेश को यथावत रखे जाने के ठोस कारणों का उल्लेख किये बगैर ही निर्णय पारित कर दिया गया, जबकि प्रकरण अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना कोई भी पारित निर्णय स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर अपीलीय आदेश निरस्त करने योग्य है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित अपील निर्णय की अक्षरशः पालना पूर्ण करवाते और अपीलान्ट के पक्ष में भूमि आवंटन का पुनः अपीलान्ट के पक्ष में नामा0 दर्ज करने का आदेश प्रदान करते, परन्तु विधि के विपरित जाकर एवं एक अपीलीय न्यायालय के निर्णय की अवमानना की श्रेणी में जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि काबिल निरस्तीकरण है।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2023 को निरस्त किया जावे एवं अपीलाधीन निर्णय की पालना में पारित नामान्तरकरण को भी निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, न्यायालय जोधपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.1991 की पालना में अपीलार्थी को आवंटित कृषि भूमि को पुनः अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें। अपीलार्थी के अधिवक्ता के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीर 2002 आरएलडब्लू (आरजे) पेज संख्या 185 पेश की गई जिसका बगौर अवलोकन किया गया।

प्रत्युतर में दौराने सुनवाई विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के पक्ष में हुए कृषि भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 15.05.1974 को जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.08.1979 के द्वारा निरस्त कर दिये जाने पर नायब तहसीलदार, भणियाणा के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी को आवंटन के अनुसार दर्ज रकबा भूमि को पुनः राज हक में दर्ज करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 313 दिनांक 31.05.1986 को स्वीकृत किया गया था, वो तत्समय के कारणों के अनुसार उचित आदेश था। उक्त स्वीकृत नामा0 संख्या 313 दिनांक 31.05.1986 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपर जिला कलेक्टर, जैसलमेर न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपर जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा अपील प्रकरण में विस्तृत फाईडिंग देते हुए ही अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के आधार पर अपील को खारिज किया गया है जो कि

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उचित होने से एवं यथावत रखे जाने योग्य होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील को खारिज की जावें।

हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर गहनता से मनन एवं चिंतन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि आवंटन अधिकारी व सलाहकार समिति की सिफारिश पर अपीलार्थी को भूमिहीन होने की श्रेणी में रखकर ग्राम झलारिया के ख0सं0 248/439 रकबा 75 बीघा कृषि भूमि का आवंटन अपीलान्ट को आदेश दिनांक 15.05.1974 के द्वारा किया गया था। नायब तहसीलदार, भणियाणा के द्वारा उक्त भूमि आवंटन आदेश दिनांक 15.05.1974 को निरस्त करवाने हेतु राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम की धारा 14(4) के तहत एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर, जैसलमेर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर न्यायालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर ने आदेश दिनांक 01.08.1979 के द्वारा अपीलान्ट को हुए भूमि आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया, उक्त आदेश के अनुसरण में नायब तहसीलदर, भणियाणा ने नामा0 संख्या 313 दिनांक 31.05.1986 में अपीलार्थी को आवंटित भूमि को रकबा राज दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया गया। अपीलान्ट ने उक्त स्वीकृत नामा0 संख्या 313 के विरूद्ध अपर जिला कलेक्टर, जैसलमेर के समक्ष प्रथम अपील को दिनांक 18.05.2023 को अस्वीकार कर दिया गया तथा नायब तहसीलदार भणियाणा द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 313 दिनांक 31.05.1986 को यथावत रख दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की हैं।

अपीलान्ट के द्वारा पेश इस अपील में अपीलान्ट ने मुख्य रूप से यह उल्लेख किया कि उनके पक्ष में हुए ग्राम झलारिया के ख0सं0 248/439 रकबा 75 बीघा कृषि भूमि के आवंटन आदेश को राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 29.01.1991 अनुसार आंवटन आदेश बहाल हो जाने पर भूमि आवंटन आदेश अनुसार राजस्व रेकर्ड में अपीलान्ट का नाम इन्द्राज किये जाने यानि नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें।

अपीलान्ट के द्वारा अपर जिला कलेक्टर जैसलमेर न्यायालय के समक्ष राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 29.01.1991 के अनुसार उक्त नामा0 संख्या 313 दिनांक 31.05.1986 को निरस्त करने एवं अपना नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रथम अपील दिनांक 03.01.2023 को पेश की गई है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.05.2023 में यह निर्णय पारित किया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का निर्णय दिनांक 29.01.1991 को पारित हो चुका है तथा अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के उक्त निर्णय दिनांक 29.01.1991 के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

द्वितीय, अपीलान्ट नामा0 संख्या 313 दिनांक 31.05.1986 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 14.12.2022 को प्रथम अपीलीय अधिकारी जो कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसलमेर है, के समक्ष दिनांक 14.12.2022 को प्रस्तुत की गई है जो कि नामा0 संख्या दिनांक 31.05.1986 के विरूद्ध लगभग 35 वर्षो के पश्चात प्रस्तुत की गई है। जहॉ तक राजस्व रिकार्ड का प्रश्न है, प्रश्नगत भूमि वर्तमान में राज्य सरकार के नाम दर्ज है जो कि नामा0 संख्या 313 दिनांक 31.05.1986 के स्वीकृत होने की दिनांक से दर्ज है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि है तथा इस भूमि के विषय में राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम की धारा 14 (4) की कार्यवाही जिला कलेक्टर, जैसलमेर के आदेश दिनांक 01.08.1979 से हो चुकी है तथा आवंटी के पक्ष में हुआ आवंटन निरस्त हो चुका है।

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा आवंटन निरस्तीकरण के जिला कलेक्टर जैसलमेर के आदेश दिनांक 01.08.1979 को स्वयं के निर्णय दिनांक 29.01.1991 से निरस्त कर दिये जाने के पश्चात आवंटी द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 29.01.1991 के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की जाकर लगभग 35 वर्षो पश्चात उस नामा0 संख्या 313 दिनांक 31.05.1986 के विषय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।

यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण प्रकिया एक समरी प्रोसिडिंग्स है तथा उससे किसी के कोई हक–हकूक अथवा अधिकार तय नहीं होते है। जिला कलेक्क्टर, जैसलमेर द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम की धारा 14 (4) के तहत विधिक प्रकिया अपना कर आवंटन निरस्तीकरण की जो कार्यवाही की गई है तथा उस आवंटन निरस्तीकरण आदेश के विषय में नामा0 संख्या 313 दिनांक 31.05.1986 स्वीकृत किया गया है वह तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर सही किया है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उक्त नामा0 संख्या 313 दिनांक 31.05.1986 को अपीलाधीन आदेश द्वारा यथावत रखा गया है, वह उचित प्रतीत होता है। अतः हम प्रथम अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2023 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2023 को यथावत रखा जाता है निर्णय आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर